

5 फरवरी, 2018 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 81वीं बैठक का कार्यवृत्त

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की इक्यासिवाँ (81वीं) बैठक सुश्री रीता तेवतिया, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 5 फरवरी, 2018 को पूर्वाह्न 11.30 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची अनुबंध 1 के रूप में संलग्न है।

मद संख्या 81.1 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (6 प्रस्ताव)

14 सितंबर 2012 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड में समान मामलों की जांच की तथा निम्नानुसार टिप्पणी की :

"अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को 5वें साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की तभी सिफारिश करने की सलाह दी कि विकासक द्वारा परियोजना के प्रचालन के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और वैधता अवधि पुनः बढ़ाया जाना उचित कारणों पर आधारित है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी टिप्पणी की कि नेमी मामले के रूप में वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती है जब तक कि विकासक द्वारा जमीनी स्तर पर कुछ प्रगति नहीं की जाती है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि की समाप्ति की तिथि से औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल की अवधि के लिए 5वें साल के बाद तथा 6 माह की अवधि के लिए छठे वर्ष के बाद बढ़ाने के अनुरोधों को मंजूरी प्रदान की।"

(i) इंदौर, मध्य प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 28 फरवरी, 2018 के बाद पुनः बढ़ाने के लिए मैसर्स टीसीएस लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 28 फरवरी, 2019 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(ii) ग्राम बेहरामपुर, बालोला और बंदवारी, जिलाजिला गुड़गांव, हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जनवरी, 2018 के बाद पुनः बढ़ाने के लिए मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 25 जनवरी, 2019 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(iii) ग्राम कलवारा, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर, राजस्थान में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर विनिर्माण सहित आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि पांच क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को एक बहु उत्पाद एसईजेड में संयोजित करने के लिए अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव इस विभाग में 31 जनवरी, 2018 को प्राप्त हुआ था और प्रोसेस किया जा रहा था। चूंकि उपर्युक्त एसईजेड का संयोजित एसईजेड में विलय किया जा रहा था, इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने 30 अप्रैल, 2018 तक तीन माह के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(iv) ग्राम भंबोरिया, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर, राजस्थान में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड के प्रस्ताव के संबंध में

5 फरवरी, 2018 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 81वीं बैठक का कार्यवृत्त

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि पांच क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को एक बहु उत्पाद एसईजेड में संयोजित करने के लिए अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव इस विभाग में 31 जनवरी, 2018 को प्राप्त हुआ था और प्रोसेस किया जा रहा था। चूंकि उपर्युक्त एसईजेड का संयोजित एसईजेड में विलय किया जा रहा था, इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने 30 अप्रैल, 2018 तक तीन माह के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(v) मंजूरी बुद्रुक, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 17.0901 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 27 मार्च, 2018 के बाद पुनः बढ़ाने के लिए मैसर्स एसईजेड बायोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 27 मार्च, 2019 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(vi) 31 मार्च 2018 के बाद 31 मार्च 2019 तक मंजूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए ब्रुक फील्ड्स, ग्राम कुंडलहल्ली, होबली, कृष्णराजपुरम, तालुक बंगलौर दक्षिण, कर्नाटक में मैसर्स ब्रुकफील्ड्स रियल एस्टेट एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 31 मार्च, 2019 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 81.2 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (4 प्रस्ताव)

(i) 22 अप्रैल 2017 के बाद एक साल के लिए अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रानिक्स इंडस्ट्री डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूईबीईएल लिमिटेड) जो मैसर्स एमएल डालमिया एंड कंपनी लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 28 फरवरी, 2019 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(ii) 28 फरवरी, 2018 के बाद 28 फरवरी, 2019 तक अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स इकरियाँ कन्सुमर कन्सुमर प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट 2) जो नोएडा एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 28 फरवरी, 2019 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(iii) 28 फरवरी, 2018 के बाद 28 फरवरी, 2019 तक एक साल के लिए अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स कुसुम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड जो इंदौर एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 28 फरवरी, 2019 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(iv) मैसर्स मैक्सन कलरकेम प्राइवेट लिमिटेड, दाहेज एसईजेड, भडूच, गुजरात को जारी किए गए मंजूरी पत्र दिनांक 06 फरवरी, 2013 की वैधता अवधि बढ़ाना

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 5 फरवरी, 2019 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 81.3 : सह विकासक के लिए अनुरोध (4 प्रस्ताव)

(i) 5.2161 वर्गमीटर के क्षेत्रफल के लिए आईटी / आईटीईएस यूनिटों के लिए भवन तथा संबद्ध अवसंरचना के निर्माण, आईटी / आईटीईएस यूनिटों के स्थान के विकास तथा सभी डिफाल्ट अधिकृत प्रचालनों के लिए एमआईडीसी के आईटी / आईटीईएस एसईजेड, राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, फेज 3, हिंजेवाड़ी, पुणे में सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स सिनर्जी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि मैसर्स सिनर्जी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड एसईजेड में यूनिट स्थापित करने की परियोजना को लागू करने में समर्थ नहीं हुआ है और इसलिए प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया।

(ii) आईटी / आईटीईएस यूनिटों के लिए भवनों तथा संबद्ध आधारभूत सुविधाओं के निर्माण, आईटी / आईटीईएस यूनिट के लिए स्थान के विकास तथा जी 4/1, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, घंसोली, नवी मुंबई में सभी डिफाल्ट अधिकृत प्रचालनों के लिए लोमा आईटी पार्क - एसईजेड में सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स लोमा को-डवलपर्स 1 प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन भवनों तथा संबद्ध आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए मैसर्स लोमा को-डवलपर्स 1 प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

(iii) आईटी / आईटीईएस यूनिटों के लिए भवनों तथा संबद्ध आधारभूत सुविधाओं के निर्माण, आईटी / आईटीईएस यूनिट के लिए स्थान के विकास तथा जी 4/2, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, घंसोली, नवी मुंबई में 6.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सभी डिफाल्ट अधिकृत प्रचालनों के लिए एलओएमए आईटी पार्क - एसईजेड में सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स एलओएमए को-डवलपर्स 2 प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन भवनों तथा संबद्ध आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए मैसर्स लोमा को-डवलपर्स 2 प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

(iv) ग्राम ग्वाल पहाड़ी, गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स एसएफ इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स ब्लैक केनन एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन ब्लैक केनन अंडरटेकिंग से संबंधित इलेक्ट्रिकल एवं मेकेनिकल इंस्टालेशन, फायर डिटेक्शन तथा फायर फाइटिंग उपकरण, जलापूर्ति तथा अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली एवं कार पार्किंग स्पेस का अनुरक्षण / प्रचालन / प्रबंधन सहित ब्लैक केनन बिल्डिंग एवं उसकी संबद्ध अवसंरचना तथा ब्लैक केनन प्राइवेट कैम्पस लैंड (इसके बाद यहां सामूहिक रूप से ब्लैक केनन अंडरटेकिंग कहा गया है) के निर्माण, विकास, पुनर्विकास, प्रचालन, प्रबंधन एवं अनुरक्षण तथा ब्लैक केनन अंडरटेकिंग में सुरक्षा एवं सफाई की सेवाएं प्रदान करने के लिए मैसर्स ब्लैक केनन एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी तथा इसमें भविष्य में

एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में ऐसे टीनेसी के प्रबंधन तथा ब्लैक केनन अंडरटेकिंग के अंदर इस प्रकार विकसित / निर्मित पात्र टीनेट को अवसंरचना प्रदान करना / स्थान पट्टा पर देना भी शामिल हो सकता है।

मद संख्या 81 : एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रस्ताव (एक प्रस्ताव)

(i) 425 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में गोड्डा जिला, झारखंड में विद्युत के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए मैसर्स अडानी पावर (झारखंड) लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि प्रस्ताव विद्युत दिशानिर्देश दिनांक 16 फरवरी 2016 से संगत नहीं है और यह भी कि राज्य सरकार की सिफारिश नहीं है तथा विचार विमर्श के बाद प्रस्ताव को अनुमोदित न करने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 81.4 : शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के मामले (12 प्रस्ताव)

(i) एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने, निदेशकों में परिवर्तन के साथ शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन तथा औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए मैसर्स अमेक्स टेकफैब प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 21 सितंबर 2014 के बाद एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने तथा यूनिट की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में प्रस्तावित परिवर्तन के लिए स्कोमेट के दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता पर डीजीएफटी से स्पष्टीकरण तथा राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किए जाने के अधीन सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) दूसरी संस्था को 50 प्रतिशत से अधिक शेयरों के अंतरण तथा साझेदारी की संरचना में परिवर्तन के लिए मैसर्स न्यू डायमंड एरा, प्लॉट नंबर 24, 25, 62, 63 एवं 222 जो सूरत एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

- i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(iii) दूसरी संस्था को 50 प्रतिशत से अधिक शेयरों के अंतरण तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के स्थान पर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में संरचना में परिवर्तन के लिए मैसर्स सागर डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 101, प्लॉट नंबर 193 जो सूरत एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

- i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(iv) दूसरी संस्था को 50 प्रतिशत से अधिक शेयरों के अंतरण के लिए मैसर्स गोल्डमाइन ओवरसीज जो प्लॉट नंबर जी-61, पाकेट ए, मुरादाबाद में मुरादाबाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

- i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

5 फरवरी, 2018 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 81वीं बैठक का कार्यवृत्त

- vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(v) दूसरी संस्था को 50 प्रतिशत से अधिक शेयरों के अंतरण तथा कंपनी का नाम बदलकर पर्सोनिव कंटैक्ट सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स जॉन कील्स बीपीओ सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड की यूनिट है, का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

- i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(v) मैसर्स स्टेरिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मैसर्स सोपरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के समामेलन की स्कीम जो आदेश दिनांक 16/29 अगस्त 2017 के माध्यम से राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित है, के परिणामस्वरूप दूसरी संस्था को 50 प्रतिशत से अधिक शेयरों के अंतरण के लिए मैसर्स सोपरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो प्लाट नंबर 20 एवं 21, सेक्टर 135, नोएडा में मैसर्स सीव्यू डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड की यूनिट है, का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

- i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

5 फरवरी, 2018 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 81वीं बैठक का कार्यवृत्त

- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(vii) दूसरी संस्था को 50 प्रतिशत से अधिक शेयरों के अंतरण के लिए मैसर्स जेवियंट साफ्टवेयर सोल्युशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो नोएडा एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

- i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने यह राय व्यक्त की थी कि डीएलएफ एसईजेड में इस यूनिट की दूसरी यूनिट है तथा अनुमोदन बोर्ड दूसरी यूनिट की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन को मंजूरी प्रदान कर सकता है जो समान पैटर्न पर थी। तथापि, अनुमोदन बोर्ड उससे सहमत नहीं हुआ और निदेश दिया कि मामले की जांच की जाए तथा ऐसे मामलों के लिए कोई निर्णय लिया जाए।

(viii) दूसरी संस्था को 50 प्रतिशत से अधिक शेयरों के अंतरण तथा संरचना को प्राइवेट लिमिटेड से परिवर्तित करके लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप करने के लिए मैसर्स ईवाई ग्लोबल डिलीवरी सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो इनफोपार्क एसईजेड, कक्कानाड, किनफ्रा आईटी / आईटीईएस एसईजेड, तिरुवनंतपुरम तथा बैंगमाने डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड एसईजेड (2), बंगलौर की यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

- i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(ix) दूसरी संस्था को 50 प्रतिशत से अधिक शेयरों के अंतरण के लिए चोकनहल्ली गांव, बंगलौर में मैसर्स माइल स्टोन बिल्डकान प्राइवेट लिमिटेड एसईजेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

- i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(x) निम्नलिखित आधार पर मैसर्स पुणे एंबेसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जो प्लाट नंबर पीएल 3, राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, हिंजेवाड़ी, फेज 2, गांव मरुंजी, तालुक मुलशी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध :

- (i) मैसर्स एंबेसी आफिस पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड में मैसर्स पुणे एंबेसी प्राजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का समामेलन
- (ii) मैसर्स एंबेसी आफिस पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड से मैसर्स एंबेसी आफिस पार्क्स आरईआईटी को शेयरों का 100 प्रतिशत अंतरण
- (iii) मैसर्स एंबेसी आफिस पार्क्स आरईआईटी को शेयरों के 100 प्रतिशत अंतरण के फलस्वरूप एसईजेड का नाम मैसर्स एंबेसी आफिस पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड होगा

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एनसीएलटी द्वारा अपने आदेश दिनांक 7 अगस्त 2017 में समामेलन को मंजूरी प्रदान की गई है और यह भी कि उपर्युक्त प्रस्ताव 3 उपर्युक्त प्रस्ताव 1 के समान है और इसलिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन उपर्युक्त 1 और 2 में निहित प्रस्तावों को अनुमोदित करने का निर्णय लिया :

- i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(xi) दूसरी संस्था को 50 प्रतिशत से अधिक शेयरों के अंतरण के लिए मैसर्स कांटेनेटल डाटा ग्राफिक्स टेक्निकल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो डीएलएफ एसईजेड, चेन्नई की यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

- i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

5 फरवरी, 2018 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 81वीं बैठक का कार्यवृत्त

- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(xii) कंपनी के निदेशकों में परिवर्तन के साथ शेयर होल्डिंग के पैटर्न में 100 प्रतिशत परिवर्तन के लिए मैसर्स सिंफोनी ज्वैल्स प्राइवेट लिमिटेड जो सीतापुर एसईजेड, जयपुर की यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

- i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

मद संख्या 81.5 : विविध मामले (10 प्रस्ताव)

(i) 64,090 वर्गफीट के अतिरिक्त क्षेत्रफल में विशेष रूप से बेयर शेल बिल्डिंग के वार्म शेल बिल्डिंग में परिवर्तन के अधिकृत प्रचालनों के संचालन तथा उपर्युक्त आईटी / आईटीईएस एसईजेड में निर्मित स्थान को पट्टा पर देने के लिए एसईजेड के विकास के लिए मान्यता एंबेसी बिजनेस पार्क एसईजेड, बंगलौर में सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स एएनएसआर ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में इसका नाम नेटवर्क इनफार्मेशन ग्लोबल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड था), बंगलौर का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक और सह विकासक के बीच करार दिनांक 30 अक्टूबर 2017 के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली की मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र के

5 फरवरी, 2018 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 81वीं बैठक का कार्यवृत्त

लिए मैसर्स एनएसआर ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

(ii) क्षेत्रफल में 4.1925 हेक्टेयर की वृद्धि के लिए मंजूरी बुदरुक, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स एसईजेड बायोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया क्योंकि राज्य सरकार की सिफारिश उपलब्ध नहीं थी।

(iii) अपने एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स एस्टॉसिया आईटी पार्क प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम वल्लनचेरी, चेंगलपेट तालुक, जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि क्षेत्रफल में प्रस्तावित वृद्धि के बाद राज्य सरकार के उपयुक्त प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद फुट ओवर ब्रिज का निर्माण करके एसईजेड की सन्निकटता स्थापित की जाएगी तथा एसईजेड की सन्निकटता स्थापित होने के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

(iv) देवारबीसनहल्ली, भोगनहल्ली और डोड्डाकन्नाहल्ली गांव, वर्थुर होबली, बंगलौर, कर्नाटक में 1.386 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स आरएमजेड इकोवर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(v) मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 8 एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुनः बढ़ाना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि जनवरी / फरवरी 2016 के बाद 8 एसईजेड के औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर 3 जुलाई 2017 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 78वीं बैठक के दौरान विचार किया गया था, जब महाराष्ट्र सरकार द्वारा सूचित किया गया कि उसे औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकासक से आवेदन प्राप्त हुआ है और यह कि महाराष्ट्र सरकार, सिडको तथा विकासक कुछ प्रचालनात्मक एवं विनियामक मुद्दों का समाधान करने की प्रक्रिया में हैं जिसमें कुछ समय लगेगा और इसलिए अनुरोध किया गया कि मामले को आस्थगित कर दिया जाए। इसके बाद अनुमोदन बोर्ड ने इस निदेश के साथ 30 अगस्त 2017 तक 8 एसईजेड के औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने की अनुमति प्रदान की कि उस तिथि तक प्रचालनात्मक एवं विनियामक मुद्दों का समाधान कर लिया जाए और ऐसा न होने पर एसईजेड अपने आप विमुक्त हो जाएंगे।

इसके अलावा 18 सितंबर 2017 को आयोजित अपनी 79वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने सिडको के पत्र दिनांक 16 सितंबर 2017 को नोट किया कि महाराष्ट्र सरकार (यूडीडी) तथा एनएसएमईजेड कुछ प्रचालनात्मक एवं विनियामक मुद्दों का समाधान करने की प्रक्रिया में हैं। सिडको ने सूचित किया है कि मुद्दों पर राज्य के महाधिवक्ता की कानूनी सलाह प्राप्त करने के लिए 06 अक्टूबर, 2016 को मामले को उनके पास भेजा गया जिनका समाधान चार माह की अवधि के अंदर हो सकता है। बैठक में उपस्थित महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार मुद्दों के समाधान के लिए और तीन माह तक वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध कर रही है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड (एनएसएसईजेड) द्वारा

5 फरवरी, 2018 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 81वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपर्युक्त 8 एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 18 सितंबर 2017 के बाद तीन माह की अगली अवधि के लिए बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि मुद्दों के समाधान के लिए विकासक तथा महाराष्ट्र राज्य सरकार को पर्याप्त समय दिया गया है तथा इसके बावजूद ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 8 एसईजेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने का निर्णय लिया।

(vi) ग्राम इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, खुर्जा, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में मैसर्स अर्शिया नार्दन एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड के मुक्त व्यापार माल गोदाम क्षेत्र में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स सिंडीकेट इनोवेशंस इंटरनेशनल लिमिटेड का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने इस निदेश के साथ प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया कि अग्रेतर इनपुट के लिए डीजीएफटी तथा गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव की जांच की जाए।

(vii) बायोडीजल के निर्माण एवं व्यापार के लिए चर्बी के आयात के लिए मैसर्स बायोमैक्स फ्यूल्स लिमिटेड जो वीएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को अस्वीकार करने का निर्णय लिया।

(viii) फेरो मैग्नीज स्लैग के आयात के लिए मैसर्स अभिजीत फेरो टेक लिमिटेड जो एपीएसईजेड, विशाखापट्टनम की यूनिट है, अनुरोध

पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि इस मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति दिनांक 30 नवंबर 2017 एचएमएस प्रभाग द्वारा प्रदान की गई है जो संबंधित प्रभाग है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को अनुमोदित करने का निर्णय लिया।

(ix) दाहेज एसईजेड में उपलब्ध कोरिडोर से होते हुए जलापूर्ति की पाइप लाइन बिछाने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स दीपक फेनोलिक्स लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड की सिफारिश की शर्त के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(x) स्वतंत्र रूप से आयात योग्य श्रेणी (ओजीएल) में शामिल मर्दों की वेयरहाउसिंग और फिर डीटीए बिक्री के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए मैसर्स अडानी वेयरहाउसिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स मुंद्रा एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को अस्वीकार करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 81.6 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील (2 अपीलें)

(i) 22 दिसंबर, 2017 को आयोजित बैठक में यूनिट अनुमोदन समिति, एमईपीजेड द्वारा पारित कार्यवृत्त के विरुद्ध मैसर्स डीएचएल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड जो एमईपीजेड की यूनिट है, की अपील

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अपील का समर्थन करने का निर्णय लिया।

(ii) यूनिट अनुमोदन समिति, केएएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 29 दिसंबर 2017 के विरुद्ध मैसर्स टेक्सल लिमिटेड जो केएएसईजेड की यूनिट है, की अपील

अपीलकर्ता को सुनने के बाद अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि मूल एलओए दिनांक 22 जून 2004 के अनुसार यूनिट एसईजेड स्कीम के प्रावधानों के अनुसार रिजेक्ट को छोड़कर अपनी सभी मदों का निर्यात करने तथा डीटीए में बिक्री करने के लिए अधिकृत है। यह भी नोट किया गया कि अपीलकर्ता ने रिजेक्ट अर्थात वाइपर्स के डीटीए क्लियरेंस की अनुमति प्रदान करने के लिए इस आधार पर यूनिट अनुमोदन समिति, केएएसईजेड से संपर्क किया था कि वे भारत के बाहर से प्रयुक्त / फटे पुराने कपड़ों का आयात नहीं कर रहे हैं। तथापि, एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 2 (ओ) के अनुसार एसईजेड में यूनिटों से प्रापण भी आयात है। इसलिए यूनिट का यह प्रतिवाद कि वे प्रयुक्त एवं फटे पुराने कपड़ों का प्रयोग करने वाली यूनिटों के संबंध में नीति दिशानिर्देश दिनांक 17 सितंबर 2013 के तहत प्रचालन करने वाली अन्य यूनिटों से भिन्न हैं, मान्य नहीं है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि अपील अस्वीकार करने योग्य है।
